

आदेशों के लिए
आदेशों के लिए
आदेशों के लिए

आदेशों के लिए
आदेशों के लिए
आदेशों के लिए

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तब तक

10/08/18

ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।
प्रथम पक्ष - अनुपस्थित
विपक्षी - अनुपस्थित
पीठपट्टा अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 05/09/2018 को स्वै।


05/09/18

05/09/18


ऑन्य प्रतिवेदन अप्राप्त।
प्रथम पक्ष - अनुपस्थित
विपक्षी - अनुपस्थित
आदेश हेतु स्वै।


05/09/18

05/09/2018

:- आदेश :-

उभय पक्ष पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वाद का निस्तार हेतु इनकी रुचि नहीं रह गई है। वाद के प्रति उदासिनता को देखते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अन्तर्गत आवेदक द्वारा दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बंद की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


उपायुक्त,
रामगढ़